

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मार्च 24, 2023\***

**!!□ आज दिनांक 24.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!**

\*1.\* "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

\*2.\* महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

\*3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 189 वाहनों का चालान किया गया।

\*4.\* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

\*5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 60 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 202 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

\*6. पैदल गश्त अभियान-\* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 1078 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस अधिनियम में कार्यवाही की गई।

\*7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त रामकेश पुत्र सीताराम निवासी ग्राम महरी, थाना परसामलिक, जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 46/23 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त 1. गौरीशंकर पाण्डेय पुत्र जयहिन्द पाण्डेय, 2. गणेश पुत्र प्रहलाद, 3. जयहिन्द पाण्डेय पुत्र हरिनारायण पाण्डेय निवासीगण विषखोप टोला श्रीरामपुर, थाना परसामलिक, जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/22 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त 1. ओमप्रकाश चौहान पुत्र स्व० कतवारू नि० घुघली बुजुर्ग थाना घुघली, 2. जावेद पुत्र युसुफ नि० चौमुखा मस्जिद टोला थाना घुघली, 3. सूरज पुत्र इजहार नि० चौमुखा मस्जिद टोला थाना घुघली, जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/22 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

\*थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त 1. श्याम पुत्र अमरनाथ गुप्ता, 2. किशुन उर्फ राजू पुत्र हरिराम, 3. संतोष पुत्र अमरनाथ नि०गण खुटहां बाजार थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/22 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

\*थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त 1. सुधीर यादव उर्फ सोहन पुत्र चन्द्रभान निवासी शेषपुर थाना कोठीभार, 2. अब्दुल अजीज उर्फ सोनू पुत्र मु० रफीक निवासी बेलवा चौधरी थाना कोठीभार, जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-निल/22 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*9. विवेचनाओं का निस्तारण-**\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 29 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*10.\*** जनपद में 23/24.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 61 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*11.आदेश-\*** महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा।